1

संख्या-1215/78-1-2014-165आई0टी0/2014

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

यू0पी0एल0सी0,

लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 21 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2014

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-5: के अन्तर्गत निहित बिन्दुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं विकसित कर उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, उद्योग मित्रवत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण एवं व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किये जाने तथा राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किये जाने, राज्य में इलेक्ट्रिानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसर को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-870/78-1-2014-87आई0टी0/2014, दिनांक 29 अगस्त, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गयी है। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-5 के अन्तर्गत विपणन एवं ब्राण्डिंग हेतु निम्न व्यवस्था की गयी हैं:-

अध्याय-5: विपणन एवं ब्राण्डिंग रणनीति

मिशन निदेशालय के अन्तर्गत नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) इस नीति के विपणन एवं ब्राण्डिंग रणनीति के निर्धारण हेतु उत्तरदायी होगी। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

- राज्य के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा उसकी नीतियों एवं विभिन्न प्रोत्साहनों की एक ब्राण्ड छवि का सृजन।

- नीति के प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित करने के लिए CII, ELCINA, MAIT, ICA इत्यादि के सहयोग से सम्मेलन, सभायें, रोड शो तथा इवेन्ट्स आयोजित करना।
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया का उपयोग करना तथा उत्तर प्रदेश की ब्रांण्डिंग और अन्य राज्यों के मुकाबिले उसे स्थापित करना।
- विभाग द्वारा विकासात्मक कार्यकलापों के लिए पर्यटन विभाग के साथ गठजोड़ तथा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना।
- निवेश आकृष्ट करने तथा प्रस्तावित फैब इकाइयों को सम्बल देने के लिए विभिन्न सभाओं/सम्मलेनों में ई.एम.सी. को प्रचारित करना।
- अखिल विश्व स्तर पर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमीकण्डक्टर तथा इलेक्ट्रानिक्स आयोजना में प्रतिभाग करना।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्ययोजना/प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करें, ताकि तदनुसार उपरोक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें। यदि इस नीति के अनुपालन में कोई वित्तीय उपाशय निहित हो तो तदनुसार परीक्षण करते हुए समुचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए ताकि आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था कराई जा सकें।

भवदीय,

(जी०एस० नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1215(1)/78-1-2014तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

3 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

4 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

5 समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

7 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

8 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 एवं श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

9 गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)

अनु सचिव।